रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2014/ज्येष्ठ 28, 1936
No. 324] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2014/JYAISTHA 28, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2014

सा.का.नि. 409(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियमों को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 24 जनवरी, 2014 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 53(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन लोगों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 24 जनवरी, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 27, धारा 41 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 2 में खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(दक) "टी श्रेणी" से एक गैर स्वचालित प्रणोदन से सड़क पर चलने वाला यान अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अर्द्ध-ट्रेलर भी है जिसके कम से कम दो पहिये हैं और वह अपनी डिजाइन और तकनीकी विशिष्टियों के कारण

व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त होता है और वह एक मोटर यान के द्वारा खींचे जाने के लिए आशयित है;

(दख) "टी1 श्रेणी" से टी श्रेणी का 0.75 टन से अनधिक भार का यान अभिप्रेत है;

(दग) "टी2 श्रेणी" से टी श्रेणी का 0.75 टन से अधिक परंतु 3.5 टन से अनधिक भार का यान अभिप्रेत है;

(दघ) "टी3 श्रेणी" से टी श्रेणी का 3.5 टन से अधिक परंतु 10 टन से अनधिक भार का यान अभिप्रेत है;

(दङ) "टी4 श्रेणी" से टी श्रेणी का अधिकतम 10 टन से अधिक भार का यान अभिप्रेत है;

(दच) "टी5 श्रेणी" से टी श्रेणी का अर्द्ध-ट्रेलर अभिप्रेत है जो तीन पहिए वाले ट्रेक्टर द्वारा खींचे जाने के लिए आशयित है।"

3. उक्त नियम के नियम 47 के खंड (ग) में "ट्रेलर या अर्द्ध-ट्रेलर की दशा में" शब्दों के स्थान पर "टी श्रेणी से भिन्न यान की दशा में" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम में नियम 125ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"125घ. टी श्रेणी का अनुमोदन.—(1) 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् से माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त टी श्रेणी के यानों के लिए टाइप अनुमोदन और प्रमाणन हेतु प्रक्रिया ए आई एस : 113-2013 – एन2 और एन3 श्रेणी के मोटर यानों द्वारा खींचे जाने वाले टी श्रेणी के ट्रेलरों या अर्द्ध-ट्रेलरों के टाइप अनुमोदन के लिए समय-समय पर यथा संशोधित व्यवहार संहिता के अनुसरण में होगी, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी विनिर्देशनों को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।

(2) 1 अप्रैल, 2016 को और उसके पश्चात् से निम्नलिखित सभी यानों को खींचे जाने वाले यान और ट्रेलरों या अर्द्ध-ट्रेलरों के अनुज्ञेय सकल संयोजन भार के भीतर पारस्परिक विनिमयशीलता के प्रयोजन के लिए समय-समय पर यथा संशोधित अर्द्ध एस : 8007-2004 या ए आई एस : 091 (भाग 1) की पुष्टि करनी होगी, अर्थात्:—

(क) एन 2 और एन 3 श्रेणी के यानों को टी श्रेणी के यानों के द्वारा खींचे जाने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) टी श्रेणी यानों को एन2 और एन3 श्रेणी के यानों द्वारा खींचे जाने के लिए प्राधिकृत किया है।"

(3) 1 अप्रैल, 2016 को और उसके पश्चात् से ए आई एस -113 की परिधि के अधीन आच्छादित कपलिंग संवरण यंत्र, जहां कहीं पर यह ट्रक-ट्रेलर या ट्रेक्टर-ट्रेलर संयोजनों में प्रयुक्त होता है वे समय-समय पर यथा संशोधित ए आई एस -092-2009 की पुष्टि करते रहेंगे, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी विनिर्देशनों को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।

5. उक्त नियम के नियम 26 में 1 अप्रैल, 2016 को और उसके पश्चात् "ट्रेलरों और अर्द्ध-ट्रेलरों से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. आर टी-11017/07/2012-एम वी एल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम को संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 389 (अ), तारीख 9 जून, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the18th June, 2014

G.S.R. 409(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published as required under Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 53(E), dated 24th January, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) dated 24th January, 2014, inviting objection and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 24th January, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 27, 41 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (10th Amendment) Rules, 2014.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (r), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(ra) "Category T" means a non-self propelled driven road vehicle, including a semi-trailer, having at least two wheels which, on account of its design and technical features, is used to transport persons or goods and is intended to be towed by a motor vehicle;.

(rb) "Category T1" means a category T vehicle having a maximum weight not exceeding 0.75 tonnes;

(rc) "Category T2" means a category T vehicle having a maximum weight exceeding 0.75 tonnes but not exceeding 3.5 tonnes;

(rd) "Category T3" means a category T vehicle having a maximum weight exceeding 3.5 tonnes but not exceeding 10 tonnes;

(re) "Category T4" means a category T vehicle having a maximum weight exceeding 10 tonnes;

(rf) "Category T5" means a semi-trailer of category T vehicle intended to be drawn by a three – wheeled haulage tractor. "

3. In the said rules, in rule 47, in clause (c), for the words "in the case of a trailer or a semi-trailer", the words "in the case of a trailer other than a vehicle of Category T " shall be substituted.

4. In the said rules, after rule 125C, the following rule shall be inserted, namely:—

"125D. **Approval of Category T.**—(1) On and from the 1st day of April, 2016, the procedure for type approval and certification for Category T vehicles used for transportation of goods shall be in accordance with AIS:113-2013 - Code of Practice for Type Approval of Category T, Trailers or Semi-trailers towed by Motor Vehicles of Category N2 and N3, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(2) On and from the 1st day of April, 2016, the following vehicles shall conform to IS:8007 - 2004 or AIS:091 (Part-1), as amended from time to time, for all purposes of inter-changeability within the permissible Gross Combination Weights of the towing vehicle and the trailer or semi-trailer, namely :—

(a) vehicles of Category N2 and Category N3 which are authorised to tow Category T;

(b) Category T vehicles which are authorised to be towed by vehicles of Category N2 and Category N3."

(3) On and from the 1st day of April, 2016, the close-coupling devices, wherever used in truck-trailer or tractor-trailer combinations covered under the scope of AIS-113, shall conform to AIS-092-2009,

as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

5. In the said rules, in rule 126, on and after 1st day of April, 2016, the words "other than trailers and semi-trailers" shall be omitted.

[F.No. RT-11017/07/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* number G.S.R 389(E), dated the 9th June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.